इटावा पुलिस
सराहनीय कार्य

प्रेस नोट दिनांक 29.10.2026

➢ **नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले वांछित अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा श्रीमती बबीता सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर सुश्री आयुषी सिंह के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी कृष्णकान्त पुत्र देवकी नन्दन निवासी रेलमण्डी नई बस्ती थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि विपक्षी उपेन्द्र कुमार पुत्र दयाराम निवासी रेलमण्डी नई बस्ती थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा द्वारा रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर कुल ₹6,60,000/- लेने का आरोप लगाया गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 04.08.2026 को थाना जसवन्तनगर पर मु0अ0सं0 223/2026 धारा 318(4)/316(2)/336(3)/338 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 29.10.2026 को थाना जसवंतनगर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत कचौरा नहर पुल पर भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 223/2026 से संबंधित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये अभियुक्त उपेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना जसवंतनगर पर मु0अ0सं0 223/2026 धारा 318(4)/316(2)/336(3)/338 बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. उपेन्द्र कुमार शाक्य पुत्र दयाराम निवासी नई बस्ती रेलमंडी थाना जसवंतनगर जनपद इटावा उम्र 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 223/2026 धारा 318(4)/316(2)/336(3)/338 बीएनएस थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।

पुलिस टीम:- थानाध्यक्ष श्री कमल भाटी थाना जसवंतनगर मय टीम।